

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

धापू पत्नी कल्याण मीणा नि. छाजेला का खेड़ा
बनाम

हेमेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत नि. धांधोला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 651/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
------------	-----------------------------------	--


21.06.23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1493/8, आ. न. 8/1 कुल किता 02 रकबा 4.0824 स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1493/8, आ. न. 8/1 कुल किता 02 रकबा 4.0824 भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

मालिय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क/रीडर/2023/65/2023

दिनांक :- 21.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 65/2023 अनवान धापू पत्नी कल्याण मीणा नि. छाजेला का खेड़ा बनाम हेमेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत नि. धांधोला, नरेन्द्र सिंह पिता तेज सिंह राजपूत नि. धांधोला वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1493/8, आ. न. 8/1 कुल किता 02 रकबा 4.0824 भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

De
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)